

कोर्ट नोटिस

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज, वरीय कोर्ट सं०- सप्तम् धनबाद
ओ०एस० बं०- 118/2019

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ब्लॉक II क्षेत्र वादी
बनाम्

कैलाश दास @ कैलाश रविदास प्रतिवादी

कोर्ट नोटिस

प्रेषित:-

1. कैलाश दास @ कैलाश रविदास पिता- टेकलाल रविदास,
2. रिङ्गु रविदास पिता- लाती रविदास

दोनों निवासी- ग्राम- लुतीपहाड़ी, पो० + थाना - बाघमारा, जिला- धनबाद (झारखण्ड)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि वादी ने आपलोगों के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमा मेरे न्यायालय में दाखिल किया है जिसमें आप दोनों को निबंधित डाक एवं नजारत के माध्यम से आपलोगों की उपस्थिति हेतु सूचना निर्गत किया गया है, परन्तु आपलोग अभी तक मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस प्रकाशन/सूचना को पढ़कर आप अगली निश्चित तिथि दिनांक 04.03.24 को 10:30 बजे सुबह में या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित होकर अपना पक्ष/लिखित कथन प्रस्तुत करें, अन्यथा आप दोनों की अनुपस्थिती में आप लोगों के विरुद्ध मुकदमा की कार्यवाही का निपटारा एकपक्षीय कर दी जाएगी।

इसे ताकिद समझे।

ह0/- न्यायालय, सिविल जज सिनियर डिविजन
सप्तम् धनबाद।